संख्या- 14028/1/2010- स्था (छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

----

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च, 2010

## कार्यालय ज्ञापन

**विषय** :- पुन: नियोजित पेंशन भोगियों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत के साथ 10 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण ।

मुझे, छुट्टी यात्रा रियायत के साथ अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति देने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के का.ज्ञा. संख्या 31011/4/2008- स्था (क) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि पुन: नियोजित पेंशन भोगियों द्वारा करवाए जाने वाले अर्जित छुट्टी के नकदीकरण, के लागू होने के बारे में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न पत्र प्राप्त हो रहे हैं ।

2. इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि पुन: नियोजित पेंशन भोगी, नियम 38-क के अनुसार 60 दिन की सीमा (उन दिनों की संख्या सहित जिनके लिए सेवा के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत सहित नकदीकरण की अनुमति दी गई है) तक अपने पुन: नियोजन की अवधि के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत के साथ अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का हकदार होगा बशर्ते वह छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार हो ।

सिम्मी नाकरा

(सिम्मी आर. नाकरा)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
(मानक डाक सूची के अनुसार)

संख्या 14028/1/2010-स्था०(छ०) दिनांक : 3 मार्च 2010

प्रतिलिपि अग्रसारित :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय ।
2. लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव ।
4. सभी राज्य सरकारें एवं संघशासित क्षेत्र ।
5. जे.सी.एम.(कर्मचारी पक्ष) की राष्ट्रीय परिषद् के सचिव, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
6. राष्ट्रीय परिषद्/विभागीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग/सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
8. राजभाषा विभाग (विधायी विभाग), भगवानदास रोड, नई दिल्ली ।
9. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
10. एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस कार्यालय ज्ञापन को वेबसाइट पर लोड करने के लिए अनुरोध सहित ।
11. 50 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

(सिम्मी आर० नाकरा)
निदेशक